प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 जुलाई, 2025

विषय:- जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रतीपाल पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022), दिनांक 05.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रतीपाल पुत्र श्री रामकुमार, निवासी-कटिया, थाना-खीरी, जिला-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 17-07-2000 को बन्दी ने 24 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक व बांका से मार कर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-196/2001 भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कक्ष सं0-5 लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 15.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी ने दिनांक 04.04.2021 तक अपरिहार 16 वर्ष, 11 माह 27 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 07 माह 08 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी की अध्यक्षता में समपन्न समिति की बैठक दिनांक 19-11-2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 17-07-2000 को बन्दी ने 24 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक व बांका से मार कर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रतीपाल पुत्र श्री रामकुमार को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रतीपाल (बन्दी संख्या-1664/2004) पुत्र श्री रामकुमार, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-736/2025/1432(1)/22-2-2022-17(248)/2021,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी
2- अधीक्षक, जिला कारागार लखीमपुर खीरी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-736/2025/1432/22-2-2022-17(248)/2021

दिनांकः 02 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रतीपाल पुत्र श्री रामकुमार, निवासी-कटिया, थाना-खीरी, जिला-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 17-07-2000 को बन्दी ने 24 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक व बांका से मार कर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-196/2001 भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कक्ष सं0-5 लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 15.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी ने दिनांक 04.04.2021 तक अपरिहार 16 वर्ष, 11 माह 27 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 07 माह 08 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी की अध्यक्षता में समपन्न समिति की बैठक दिनांक 19-11-2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 17-07-2000 को बन्दी ने 24 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा, बन्दूक व बांका से मार कर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रतीपाल पुत्र श्री रामकुमार को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in